राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 13 ( )/सा0सु0/वृ.क./ सान्याअवि/16–17/ 35716 जयपुर, दिनांकः 20/06/

राजकीय वृद्धाश्रम भवनों में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रम संचालन के दिशा निर्देश

वृद्धजनों की सम्पत्ति/वित्तीय सुरक्षा, चिकित्सा–स्वास्थ्य, आवास–आश्रय आदि की सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु राष्ट्रीय वृद्धजन नीति बनाई गई है। भारत सरकार ने वृद्धजनों के लिये "माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007" बनाया है। जिसके अध्याय–3 की धारा–19 में राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध नीति से वृद्धाश्रम स्थापित किये जाने का उल्लेख है। अधिनियम 2007 की धारा–32 की पालना में राज्य सरकार द्वारा नियम–2010 बनाये गये है। वृद्धजनों के लिये वृद्धाश्रमों की स्थापना किये जाने की राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा की पालना में, राजकीय वृद्धाश्रम भवनों का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्मित राजकीय वृद्धाश्रम भवनों में प्रतिष्ठित एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ स्वयं सेवी संस्थाओं/धर्मार्थ संस्थाएँ/ट्रस्ट के माध्यम से वृद्धाश्रमों का संचालन किये जाने हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार बनाये जाते हैः–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्रः
   (i) ये दिशा निर्देश "**राजकीय वृद्धाश्रम भवन में ट्रस्ट/संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रम संचालन हेतु दिशा निर्देश**" कहलायेंगे।
2. परिभाषाएंः

(i) **राज्य सरकार** से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

(ii) **विभाग** से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।

(iii) **प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव** से तात्पर्य प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।

(iv) **जिला कलक्टर** से तात्पर्य संबंधित जिले के कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से है।

(v) **आयुक्त/निदेशक** से तात्पर्य आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।

(vi) **जिलाधिकारी** से तात्पर्य संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी से है।

(vii) **वृद्ध** से तात्पर्य ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिसने 60वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो, से है।

(viii) **निर्धन/गरीब** से तात्पर्य अधिनियम, 2007 के अध्याय–3 के नियम–19(2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित ऐसा निर्धन वरिष्ठ नागरिक अभिप्रेत है जिसके पास स्वयं के भरण–पोषण करने के लिये उतने पर्याप्त साधन नहीं हो, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किए जाएँ अथवा परिवार अन्त्योदय या केन्द्र/राज्य बी.पी.एल. सूची में हो।

(ix) "**स्वयं सेवी संस्था** से तात्पर्य ऐसे स्वयं सेवी संस्था/संगठन से है जो बिन्दु संख्या–4 में वर्णित अनुरूप पंजीकृत तथा व्यक्ति विशेष के लाभार्थ न हो।

(x) **वृद्धाश्रम** से तात्पर्य ऐसे आवासीय गृह से है जिसमें वृद्ध आवास/निवासरत हो।

3. **योजना के उद्देश्यः** योजना का उद्देश्य सभी वर्गों के निर्धन/गरीब वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक, जीवन–यापन करने के लिये आवास, भोजन–वस्त्र, चिकित्सा–स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल मंनोरजन एवं आध्यात्मिक विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा एवं उल्लास–पूर्वक जीवन जीने की सुविधाऐं प्रदान किया जाना। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्मित राजकीय वृद्धाश्रम भवनों में पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित ट्रस्ट/धमार्थ/स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रमों का संचालन किया जाना है।

4. **संस्था/ट्रस्ट के पंजीयनः**
   (i) सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 या राज्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो अथवा,
   (ii) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सार्वजनिक न्यास अथवा,
   (iii) कम्पनी अधिनियम, 1956/2013 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त धर्मार्थ कंपनी
   (iv) वृद्धों का स्व–सहायता समूह जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत या सार्वजनिक न्यास के रूप में रजिस्टर्ड हो या किसी पंचायती राज संस्था, स्थानीय निकाय (Local Body) के तहत संचालित संगठन या इकाई हो।

5. **स्वयं सेवी संस्था हेतु पात्रताः**
   (i) संगठन/संस्था/ट्रस्ट आवेदन से गत तीन वर्ष पूर्व पंजीकृत होने तथा संचालित होने का प्रमाण।
   (ii) संस्था व्यक्तिगत/संस्थागत लाभ के लिए नहीं हो।
   (iii) लक्ष्य तथा उद्देश्यों में वृद्ध कल्याण/वृद्धाश्रम संचालन शामिल होना।
   (iv) राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय/विभाग/मंत्रालय/निगम/स्वायत्तशाषी संस्था द्वारा संचालक/संस्था/ट्रस्ट को पूर्व में दण्डित, अपात्र अथवा काली सूची में सम्मिलित नहीं रही हो।
   (v) संस्था प्रतिष्ठित एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो।

6. **प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजः**
   (i) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र (परिशिष्ठ–"ब")
   (ii) संस्था की संबंधित जिलाधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट मय अभिशंषा (परिशिष्ठ–"स")
   (iii) स्वयं सेवी संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र, संविधान, विधान–नियम, नवीनतम कार्यकारिणी की प्रमाणित सूची, गत तीन वर्षों के सी0ए0 द्वारा प्रमाणित आडिट रिपोर्ट, आय–व्ययक विवरण, प्रगति विवरण, बैंक खाते का विवरण एवं एक वर्ष का स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रतियां एवं संस्था द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्य का विवरण।
   (iv) चिन्हित किये गये निर्धन/गरीब वरिष्ठ नागरिक/वृद्धजनों की सर्वे–सूची जिसमें नाम, पिता का नाम, पता, उम्र, फोटो, आधार कार्ड/पहचान–पत्र/राशन–कार्ड, आय के लिये स्व–घोषित प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज।

(v) राज्य व केन्द्र सरकार के कार्यालय/विभाग/मंत्रालय/निगम/स्वायत्तशाषी संस्था द्वारा संचालक/संस्था/ट्रस्ट को पूर्व में दण्डित नहीं किया हो अथवा काली सूची में सम्मिलित नहीं किया गया हो, इस आशय का नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र।

7. **वृद्धाश्रम में प्रवेश हेतु पात्रताः**

गरीब/निर्धन वृद्ध, जिनकी आयु 60वर्ष व उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक जो स्वयं रहने को इच्छुक हो, पात्र होगे। ऐसे वृद्ध जो केन्द्रीय/राज्य की बी.पी.एल. सूची में पंजीकृत होने से वंचित हो या निराश्रित, असहाय हो को भी सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी की सहमति उपरान्त प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश हेतु जाति व धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

8. **केन्द्र संचालन की मुख्य शर्तेः**

(i) वृद्धाश्रम वर्ष–पर्यन्त दोनों पक्षों (राज्य सरकार एवं संस्था/ट्रस्ट) के मध्य किये गये एम.ओ. यू. एवं निर्देशों के अनुसार संचालित किये जायेंगे।

(ii) वृद्धाश्रम के संचालन हेतु आवश्यक दस्तावेज/लेखे/पंजिकादि **(यथा कैश–बुक, उपस्थिति, भ्रमण, औषधि, अनावर्तक मद में क्रय सामान, स्टॉक पंजिका, विभाग द्वारा समय–समय पर भेजे गये परिपत्रों/पत्रों की पत्रावली तथा बैंक खाते की पास बुक)** का संधारण किये जाने हेतु कार्मिकों की व्यवस्था संस्था प्रबन्धक स्वयं करेंगे।

(iii) अनुदान सम्बन्धी अभिलेख राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और लेखा परीक्षकों अथवा भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जॉच किये जाने के लिए उपलब्ध रहेगें।

(iv) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संस्था उस वर्ष के अनुदान की सनदी लेखाकार से परीक्षा करायेगी तथा लेखापरीक्षित लेखों की प्रति, उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करेगी। अनुदान में से व्यय नहीं की गई अवशेष राशि आगामी वित्तीय वर्ष में समायोजित की जायेगी अथवा राज्य सरकार को वापिस लौटायी जायेगी।

(v) स्वयं सेवी संस्था अपनी इच्छा से वृद्धाश्रम का संचालन अन्य संस्था को पारस्परिक हस्तान्तरित नहीं कर सकेगी।

(vi) संस्था/ट्रस्ट द्वारा संचालित केन्द्र/वृद्धाश्रम की जिलाधिकारी की संचालन निरीक्षण रिपोर्ट में सन्तोषजनक व्यवस्था न पाये जाने अथवा एम.ओ.यू. की शर्तों के अनुसार संचालन नही पाये जाने पर एम.ओ.यू. को निरस्त किये जाने का अधिकार निदेशक/आयुक्त को होगा।

(vii) वृद्धाश्रम में संचालक संस्था द्वारा वृद्धजनों का उपस्थिति पंजिका का संधारण किया जायेयगा तथा उपस्थित पंजिका में वास्तविक उपस्थिति के आधार पर ही अनुदान जारी किया जायेगा।

(viii) संस्था/ट्रस्ट को वर्ष में दिये गये राजकीय अनुदान का उपयोगिता प्रमाण एवं निरीक्षण रिपोर्ट के अभाव में अनुदान राशि देय नहीं होगी।

(ix) अनुदान से सृजित परिसम्पतियों का स्वामित्व राज्य सरकार का होगा।

(x) ये शर्तें वृद्धाश्रम संचालन हेतु किये गये सभी एम.ओ.यू. के लिये प्रभावी होगी।

9. **संस्था द्वारा संचालित वृद्धाश्रम केन्द्रों में प्रदत की जाने वाली न्यूनतम सुविधाऐं:**

1. पीने का स्वच्छ पानी, प्रातः व सायं ताजा पौष्टिक सुपाच्य भोजन, चाय–नाश्ता, पंलग, ऋतु के अनुसार बिस्तर–कपड़े दन्त–मंजन, नहाने धोने के साबुन, बाल–कटिंग, मनोरंजन के साधन यथा टीवी, समाचार पत्र–पत्रिका, धार्मिक पुस्तके, योग–प्राणायाम, संगीत–भजन के उपकरण, अन्य समुचित रोजमर्रा की आवश्यक जरूरत/सुविधाएं की व्यवस्था।
2. वृद्धाश्रमों में आवासियों की प्रारम्भिक चिकित्सा की व्यवस्था, गंभीर बीमारी पर निकटतम चिकित्सालय ले जाने की व्यवस्था के साथ–साथ ही चिकित्सक को ऑन–कॉल बुलाये जाने, आवासी की मृत्यु होने की स्थिति में दाह–संस्कार की व्यवस्था करना, जहॉ निकट सम्बन्धी सक्षम/इच्छुक नहीं है।
3. राजकीय भवन का रख–रखाव, मरम्मत, रंग–रोगन आदि एवं सरंक्षण संस्था/ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। बिजली–पानी के बिलों का भुगतान स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा साथ ही किसी भी प्रकार के कर आदि के भुगतान की जिम्मेवारी भी संस्था की होगी।

10. **वित्तीय सहायताः**

(i) वृद्धाश्रम संचालन हेतु स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित मैसभत्ता, वस्त्रादि अनुदान राशि के साथ वृद्धों के स्वास्थ्य, विशेष देखभाल, मंनोरजन एवं रचनात्मक गतिविधियों हेतु एक मुश्त देय राशि ही देय होगी। इसके अतिरिक्त अन्य सभी व्यय संस्था द्वारा वहन किये जायेगे।

11. **संस्था/ट्रस्ट के चयन की प्रक्रियाः**

1. राजकीय वृद्धाश्रम भवनों में पंजीकृत, प्रतिष्ठित ट्रस्ट/धमार्थ/स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रम संचालित किये जाने के लिये निदेशालय द्वारा विज्ञप्ति जारी कर प्रस्ताव आमन्त्रित किये जायेंगे।
2. जिला कलक्टर द्वारा गठित कमेटी/समिति प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों का चयन कर मय अभिशंषा सहित निदेशालय को भिजवाये जायेगे।
3. एक स्थान/जगह के लिये दो या अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में निदेशालय स्तर पर परीक्षण कर संस्था की आर्थिक स्थिति, प्रतिष्ठा, किये गये कार्यों का मूल्यांकन, प्रगति एवं वृद्ध कल्याण के अनुभव को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर चयन किया जायेगा। तद्उपरान्त चयनित ट्रस्ट/संस्था से एम0ओ0यू0 किया जायेगा। एम0ओ0यू0 का प्रारूप परिशिष्ठ–''अ'' पर संलग्न है।

4. प्रतिष्ठित, सुदृढ़ आई.एस.ओ संस्था से वृद्धाश्रम संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा चयन के उक्त नियमों में शिथिलता प्रदान किये जाने पर वृद्धाश्रम संचालन के लिये ऐसी संस्था/ट्रस्ट के साथ एम.ओ.यू. किया जा सकेगा।

12. **दिशा–निर्देश में शिथिलता का अधिकारः**

उक्त दिशा–निर्देशों के प्रावधनों में किसी भी प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन/सहमति के बिना नहीं दी जायेगी। आवश्यक होने पर इन नियमों की व्याख्या आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जायेगी, जो अन्तिम एवं बाध्यकारी माना जायेगी।

13. **दण्डात्मक कार्यवाही के प्रावधानः**

संस्था द्वारा दिशा–निर्देशों की अवहेलना, अनुदान राशि का दुरूपयोग अथवा कोई अनियमितता पाये जाने पर संस्था द्वारा किये गये एम0ओ0यू0 को अधिकृत अधिकारी द्वारा रद्द/निरस्त किया जा सकेगा। गबन राशि वसूली कर बकाया राशि जब्त कर ली जायेगी। गबन राशि वसूल नहीं होने की स्थिति में राजस्थान Public Demands Recovery Act,1952 के तहत नियमानुसार संस्था परिसम्पत्ति से वसूली कर विधिक कार्यवाही की जायेगी। दोषी संस्था को भविष्य में विभाग की अन्य कोई भी योजना संचालित करने का अवसर नहीं दिया जायेगा। यह दिशा–निर्देश वित्त(व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 161700715 दिनांक 09–06–17 के द्वारा दी गयी सहमति के आधार पर जारी किये जाते है।

19/6

(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक : एफ 13 ( )/सा0सु0/वृ.क./ सान्याअवि/16–17/ 35717-96 जयपुर, दिनांकः 20/6/1

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
7. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.........................

(डॅा0 समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

राजकीय वृद्धाश्रम भवन में वृद्धाश्रमसंचालन हेतु
आवेदन पत्र

1. ट्रस्ट/संस्था का नामः
2. ट्रस्ट/संस्था का स्थाई पता, ई–मेल, सम्पर्क सूत्रः
3. ट्रस्ट/संस्था अध्यक्ष का नाम, पता एवं मोबाईल व ईमेलः
4. अध्यक्ष, सचिव/प्रबन्धक का आधार कार्ड नम्बर
5. संस्था के नियम–संविधान, पंजीयन प्रमाण पत्र–संख्याः
   (प्रमाण पत्र, संविधान, उद्वेश्य, नवीन कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम, पता तथा प्रमाणित प्रति)
6. वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में कार्य/अनुभव
7. स्टाफ का विवरणः
8. वृद्धजनों की नाम, पते की सर्वे सूचीः
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः
   I. गत तीन वर्ष की प्रगति रिपोर्ट,
   II. संस्था के गत तीन वर्ष के अंकेक्षित लेखे
   III. विभागीय नियमान्तर्गत ट्रस्ट/संस्था द्वारा केन्द्र का संचालन एवं निर्देश/नियमों को मान्य की बाध्यता सम्बन्धी शपथ पत्र
   IV. संस्था को भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा किसी भी उपक्रम द्वारा कालीसूची में नहीं होने संबधी शपथ पत्रः
   V. संस्था का बैंक खाता विवरण (पासबुक प्रति संलग्न भी करे):

मैंने योजना के दिशा निर्देशों से भलीभॉति परिचित हूॅ और मैं उसकी अपेक्षाओं व शर्तों को पूरा करता/करती हूॅ। मैं इस योजना की सभी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूॅ।

संस्था अध्यक्ष एवं सचिव/प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर
नाम, पता, मुहर सहित तारीख

परिशिष्ठ "स"

निरीक्षण रिपोर्ट के लिये प्रपत्र

1. संस्था / संगठन का नाम एवं पता:
2. निरीक्षण अधिकारी का नाम एवं निरीक्षण दिनांक:
3. सोसायटी किस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नम्बर, दिनांक:
4. वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिये संगठन द्वारा किये गये कार्य:
5. चिकित्सा, जॉच, उपचार की व्यवस्था का ब्यौरा:
6. संगठन द्वारा संचालित अन्य कोई केन्द्र / योजना एवं गतिविधियों पर टिप्पणी:
7. संस्था द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का विवरण:
8. संस्था की प्रगति एवं कार्यों का ब्यौरा:
9. प्राप्त अनुदान एवं व्यय का अद्यतन रिकार्ड विवरण:
10. अन्य आय के स्त्रोत:
11. संस्था की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी:
12. संस्था के गत वर्षों का सी0ए0 द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित आडिट लेखे व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये का विवरण
13. वृद्धजनों के मंनोरजन के साधन एवं प्रशिक्षण के प्रबन्ध का ब्यौरा
14. संस्था / ट्रस्ट की सामान्य प्रतिष्ठा की टिप्पणी:
15. अन्य अतिरिक्त जॉच / निरीक्षण ब्यौरा:
16. अन्य सुझाव
17. निरीक्षणकर्ता की अभिशंषा सहित / रहित स्पष्ट टिप्पणी..

....

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर
नाम, पता / मोहर
तारीख

परिशिष्ठ "अ"

मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेंडिग (MOU)

यह एम.ओ.यू. आज दिनांक.......... माह........ सन...... को प्रथम पक्ष..................... **(जिसे इसमें आगे दानदाता संस्था/ट्रस्ट कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहॉ सन्दर्भ किया हुआ समझा जायेगा)** तथा द्वितीय पक्ष राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निदेशक सामाजिक न्याय एंव अधिकारित विभाग **(जिसे आगे राज्य सरकार कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहॉ सन्दर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जायेगा, उसके उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जायेगा)** के मध्य सम्पन्न किया गया है।

प्रस्तावना: राज्य के सम्भाग मुख्यालयों पर स्थित राजकीय नवनिर्मित वृद्धाश्रम भवनों में वरिष्ठ नागरिक/वृद्धजनों को स्वस्थ, सुरक्षित एवं उमंगपूर्ण जीवन यापन की सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्ट/धमार्थ संस्थाएं के माध्यम से वृद्धाश्रम संचालित किये जाने है।

राजस्थान राज्य के ....सम्भाग मुख्यालय .पर स्थित राजकीय वृद्धाश्रम भवन जिसमें चार दीवारी सहित ....कमरे....... शैचालय, स्नानागृह....... है जिसका क्षेत्रफल................**है पर संस्था/ट्रस्ट द्वारा वृद्धाश्रम** का संचालन किया जावेगा। भवन के नक्शे की प्रति संलग्न है।

चूँकि संस्था/ट्रस्ट राजकीय वृद्धाश्रम भवन में वृद्धाश्रम संचालन के लिये राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रति व्यक्ति प्रति माह देय अनुदान राशि एवं वृद्धों के स्वास्थ्य एवं विशेष देखभाल, मंनोरजन एवं रचनात्मक गतिविधियों हेतु देय एक मुश्त राशि के अतिरिक्त व्यय होने वाली समस्त राशि वहन करने हेतु सहमत है। अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:–

1. उपरोक्त उल्लेखित राजकीय वृद्धाश्रम भवन एकमात्र वृद्धाश्रम संचालन हेतु संस्था/ट्रस्ट को 02 वर्ष की अवधि के लिये दिया जावेगा। राज्य सरकार यदि उचित समझेगी तो दोनों पक्षों की सहमति से अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। राजकीय वृद्धाश्रम भवन का मालिकाना हक पूर्णरूप से राज्य–सरकार में निहित रहेगा।
2. वृद्धाश्रम का नामकरण राजकीय वृद्धाश्रम **(ट्रस्ट के सहयोग से संचालित)** रखा जायेगा।

3. संस्था को वृद्धाश्रम संचालन हेतु दिये जा रहे भवन की आवासीय क्षमता 25वृद्धजनों की है इसलिये संस्था भवन में 25 वृद्धजनों की क्षमता का वृद्धाश्रम संचालित करेगी। भविष्य में वृद्धाश्रम में यदि अतिरिक्त आवासीय क्षमता की वृद्धि होती है तो राज्य सरकार वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि कर सकेगी।
4. राजकीय भवन का रख–रखाव, मरम्मत, रंग–रोगन आदि एवं सरंक्षण संस्था/ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। बिजली–पानी के बिलों का भुगतान स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा साथ ही किसी भी प्रकार के कर आदि के भुगतान की जिम्मेवारी भी संस्था की होगी।
5. एम0ओ0यू0 की अवधि समाप्ति पर अथवा अवधि पूर्व एम.ओ.यू. के निरस्त होने पर संस्था द्वारा राजकीय भवन (अतिरिक्त भवन सहित) को प्रारम्भिक स्थिति में सरकार को सुपुर्द करना होगा।
6. संस्था/ट्रस्ट को वृद्धाश्रम संचालन हेतु राज्य सरकार की ओर से समय–समय पर निर्धारित प्रतिवृद्ध प्रतिमाह राशि ....एम.ओ.यू. की शर्तों की पालना सुनिश्चित करने के उपरान्त प्रदान की जायेगी। राज्य सरकार स्वेच्छा से अन्य कोई एक मुश्त अनुदान राशि भी जारी कर सकेगी, इसके लिये संस्था कोई मांग करने की हकदार नहीं होगी।
7. संस्था द्वारा वृद्धाश्रम में निवास कर रहे रहवासियों को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 एवं इसकी पालना में बने नियम–2010 में प्रावधित सुविधाएं उपलब्ध करवायी जावेगी तथा नियम–2010 के नियम–19 में उल्लेखित सनियमों और मानकों के अनुसार संचालित होंगे। वृद्धाश्रम में प्रवेश और प्राथमिकता भी इन नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी। राजकीय वृद्धाश्रम में उपयुक्त माहौल व बेहतर प्रदत्त सुविधाएं बनाने हेतु संस्था प्रयासरत रहेगी एवं वृद्धाश्रम भवन में पुनर्वास केन्द्र की सेवाएं भी दी जायेगी।
8. संस्था द्वारा वृद्धाश्रम का संचालन राज्य सरकार द्वारा वृद्धाश्रम संचालन हेतु जारी दिशा निर्देशों/नियमों के अनुरूप करना होगा। एम.ओ.यू. अवधि के दौरान दिशा निर्देशों/ नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा अनुदान की राशि में परिवर्तन (वृद्धि/कमी) होने पर ऐसे दिशा निर्देश संस्था/ट्रस्ट पर बाध्यकारी होंगे।

9. राजकीय वृद्धाश्रम भवन में संस्था/ट्रस्ट द्वारा यदि वृद्धजनों हेतु अतिरिक्त भवन निर्माण के लिये राशि व्यय किये जाने की इच्छा जाहिर की जाती है तो निर्माण, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के तकनीकी मापदण्डों के आधार पर किया जा सकेगा। निर्माण में सभी सुविधाओं **(ढलुवापट्टी, लिफट, डोरमैट्री आदि)** को भी ध्यान में रखा जायेगा। उक्त निर्माण पर होने वाले व्यय का कोई पुर्नभरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जावेगा तथा अतिरिक्त निर्माण पर राजकीय स्वामित्व रहेगा।

10. वृद्धाश्रम भवन की समस्त चल-अचल सम्पत्ति का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित रहेगा। संस्था को वृद्धाश्रम संचालन के अतिरिक्त चल-अचल सम्पति मे कोई अधिकार नहीं होंगे।

11. राज्य सरकार द्वारा वृद्धाश्रम संचालन हेतु प्रति वृद्धजन प्रति माह देय अनुदान (मैस भत्ता भोजन वस्त्रादि) राशि एवं आवासित वृद्धों की चिकित्सा, विशेष देखभाल, मंनोरजन एवं रचनात्मक गतिविधियों हेतु देय एक मुश्त राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नही है, उक्त राशि के अलावा खर्च होने वाली अन्य राशि संस्था/ट्रस्ट द्वारा वहन की जायेगी जिसके लिये संस्था/ट्रस्ट सहमत है।

12. वृद्धाश्रम में वृद्धजनों हेतु चिकित्सकीय सुविधाओं/जॉच हेतु लाने-ले जाने सहित सम्पूर्ण व्यवस्था संस्था द्वारा स्वयं के खर्चे पर की जायेगी।

13. वृद्धाश्रम के संचालन हेतु अनावर्तक सामान (पंलग, गद्दे, बर्तन, फर्नीचर इत्यादि) एवं दिन प्रतिदिन की व्यवस्था व नियमित सुचारू वृद्धाश्रम संचालन का प्रबन्ध संस्था को स्वयं करना होगा।

14. वृद्धाश्रम के संचालन में आवश्यकतानुसार कार्मिकों की व्यवस्था स्वयं संस्था करेगी तथा उनका समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

15. संस्था द्वारा वृद्धाश्रम में आवासित वृद्धजनों के सुगम जीवन यापन हेतु समय समय पर योगा, फिजियोथेरेपिस्ट तथा मनोरजन इत्यादि की सुविधाएं उपलबध करवायी जायेगी।

16. संस्था द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में आवासरत वरिष्ठ नागरिकों को प्रदत्त सुविधाओं और व्यवस्थाओं का विभागीय अधिकारी/प्रतिनिधि को समय समय पर निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

17. संस्था/ट्रस्ट को दिये गये राजकीय अनुदान का संस्था अलग से खाता रखेगी तथा प्राप्त अनुदान के लेखों का संधारण पृथक से किया जायेगा तथा इनका प्रतिवर्ष आडिट कराया जाकर विभाग को उपयोगिता प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। जिसकी प्राप्ति के पश्चात् ही राजकीय अनुदान जारी किया जायेगा। अनुदान से सृजित परिसम्पतियों का स्वामित्व राज्य सरकार का होगा।

18. संस्था/ट्रस्ट द्वारा संधारित अनुदान सम्बन्धी अभिलेख राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और लेखा परीक्षकों अथवा भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जॉच किये जाने के लिए उपलब्ध कराने हेतु संस्था दायित्वधीन रहेगी।

19. स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट वृद्धाश्रम का संचालन बिना लाभ/हानि के आधार पर संचालित करेगी एवं किसी प्रकार के लाभार्जन करने का प्रयास नही करेगी।

20. एम.ओ.यू. की शर्तों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वृद्धाश्रम का संचालन नहीं किये जाने पर तथा निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाये जाने पर एम. ओ.यू. निर्धारित समय/अवधि से पूर्व निदेशक/आयुक्त द्वारा एम.ओ.यू. सकारण निरस्त किया जा सकेगा।

राज्यपाल के लिये एवं उनकी ओर से हस्ताक्षर	**संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर**
पद नाम	नाम– पता
दिनांक	
1–साक्षी	2–साक्षी